सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : **नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0**

प्रकरण सं0 04/2011
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

गिरधारी लाल जैन निवासी 78–79 बी एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

शिकायतकर्ता

बनाम

लाखा पुत्र पोलाराम जाति बिश्नोई साकिन 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता
श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश **दिनांक : 21 –06–2017**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के पत्र कमांक प022(15)/राज/उप/78 जयपुर दिनांक 14.09.1982 के साथ शिकायतकर्ता का मूल प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि धारा 11/14 के तहत नाजायज आंवटन की कार्यवाही जैरकार हैं। चक 71 से 82 एलएनपी तहसील पदमपुर व गांव घमढिया तहसील उपनिवेशन रायसिंहनगर, मुकाम सूरतगढ के चकों में नाजायज आंवटन चक 71एलएनपी हनुमान पुत्र पोलाराम बिश्नोई वगै0 ने तहसील पदमपुर व सूरतगढ का रकबा छुपाकर झुठा हलफनामा देकर, सरकार को धोखा देकर नाजायज आंवटन करवाया हैं। मौके की जांच होकर सरकार के आदेश से तहसील उपनिवेशन रायसिंहनगर मुकाम सूरतगढ़ व सहायक आयुक्त सूरतगढ़ के पास आदेश उपनिवेशन आयुक्त सतर्कता बीकानेर डीसीसी सूरतगढ व अति जिलाधीश गंगानगर के कार्यालय में उनकी पत्रावली जैरकार हैं। मौके पर जो रकबा पूराना ऑलटमेंट गरीब हरिजन व स्वर्ण जाति का हैं। गरीबों को यह रकबा मौके पर कब्जा दिलाने की कृपा करें। गैर–सायलों को बेदखल करावें। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच करने एवं गैर–सायलों को मौके से बेदखल करने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर (संदर्भित पत्र कमांक 572 दिनांक 30.07.1979 अहस्ताक्षरित जो जिलाधीश श्रीगंगानगर को सम्बोधित हैं) द्वारा तहसीलदार करनपुर से करवाई गई उल्लेखित किया हैं। जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि तहसील व टी.आर.ए. के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता गिरधारी लाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नाजायज आंवटन का जो उल्लेख किया हैं यह आंवटन सन् 1967 का है जो उपखण्ड अधिकारी, करनपुर द्वारा किया गया हैं जिन में से काफी ऑलाटियों द्वारा किस्तें भरी जा चुकी हैं व उन्हें सनद भी जारी हो चुकी हैं। जिन काश्तकारों के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पास पहले भूमि थी व जो हकदार थे उनके नाम से आंवटन न कर दीगर व्यक्तियों को आंवटन किया गया जो हनुमान सरपंच के कई रिश्तेदार हैं। चक 78 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 47 की 20–10 बीघा भूमि, अप्रार्थी लाखा को ऑलटमेंट की गई है। समस्त राशि 8250–00 रूपये जमा हुई। सनद जारी नहीं हुई।

पत्रावली का संधारण दिनांक 07.04.1983 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के पत्र कमांक विविध/81/332 दिनांक 02.03.1981 के साथ संलग्न पत्र कमांक 572 दिनांक 30.07.1979 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में किया गया। दिनांक 07–04–83 से लेकर दिनांक 25–11–95 तक की आदेशिकाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर न्यायालय द्वारा पारित की गई हैं। दिनांक 3–10–96 की आदेशिका में अंकित है कि " आज यह पत्रावली ए0डी0एम0 सतर्कता श्री गंगानगर के यहॉ से प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। शिकायतकर्ता एवं अप्रार्थी दोनों को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18–12–96 को पेश हो "। उक्त आदेशिका की निरन्तरता में दिनांक 26–11–97 तक की आदेशिकाएं पारित की गई हैं। दिनांक 27–11–97 से लेकर दिनांक 20–4–11 से पूर्व की आदेशिकाएं पारित हुई अथवा नहीं, पत्रावली में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, उक्त पत्रावली दिनांक 07.04.1983 से लेकर 21.06.2011 तक अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में विचाराधीन रही है।

अति जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 21.06.2011 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक भू0अ0/84/126 दिनांक 18.01.1984 के अनुसार चक 78 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 की 20–10 बीघा बारानी भूमि अप्रार्थी लाखा को दिनांक 04.01.1967 को उप जिलाधीश, श्रीकरणपुर द्वारा पुख्ता आंवटन की गई थी। उक्त भूमि आवंटी लाखा के ही कब्जा काश्त में है। आवंटी के पास इस भूमि के अलावा और भूमि नहीं है। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् तहसीलदार, पदमपुर द्वारा रिपोर्ट कमांक भू0अ0/84/1711 दिनांक 28–5–85 प्रेषित की है, जिसमें बिन्दुवार निम्न प्रकार से अंकित किया है कि :–

1 विवादित भूमि चक 78 एल.एन.पी. का मु0 नं0 49 की 20–10 बीघा दिनांक 04–01–1967 व 06–04–67 को आवंटन किया गया है।
2 आवंटन अधिकारी का नाम टी0आर0ए0 के रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
3 आवंटन के समय उक्त भूमि की किस्म बारानी थी।
4 आवंटन से पूर्व अप्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम भूमि नहीं थी।
5 आवंटन शुदा भूमि पर आवंटी का ही कब्जा है।
6 आवंटी जन्म से ही राजस्थान का निवासी है।
7 भूमि के आवंटन से पूर्व अप्रार्थी का पेशा खेती था।

इस प्रकार, अप्रार्थी को भूमि आवंटन करने से पूर्व नियमानुसार पात्रता की जॉच सुनिश्चित की गई है।

प्रकरण में आंवटन से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) द्वारा दिनांक 7–4–83 से लेकर दिनांक 19–10–92 तक पत्राचार किया गया लेकिन मूल रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ। इस न्यायालय द्वारा भी रिकार्ड तलबी के काफी प्रयास किये गए। इस कार्यालय के पत्र कमांक 1445

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 22–05–17 के कम में **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर ने अपने पत्र कमांक राजस्व/16/863 दिनांक 05.10.2016 द्वारा अवगत करवाया हैं कि चाही गई पत्रावली वर्ष 1968 से संबंधित हैं। कार्यालय में तलाश करने पर पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही हैं और न ही वर्ष 1968 से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध हो रहा हैं। सम्भवंतः पत्रावली निर्णय के उपरान्त अभिलेखागार में जमा करवाई जा चुकी होगी।**

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर की उपरोक्त रिपोर्ट के उपरान्त जिला अभिलेखागार से रिकार्ड मांगा गया। जिला अभिलेखागार ने अपने पत्र कमांक सीजी/जि0अ0/2017/193 दिनांक 06.06.2017 द्वारा अवगत करवाया हैं कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा नहीं हुई है। इस प्रकार मूल आवंटन की पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया हैं कि पत्रावली में जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर की जांच रिपोर्ट संलग्न हैं वह कार्बन प्रति हैं उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा हैं। भूमि का आंवटन वर्ष 1967 का है। प्रकरण अत्यधिक पुराना हैं।

पत्रावली के सलंग्न लिखित बहस जो अप्रार्थी वकील द्वारा 07.04.1986 को प्रस्तुत की गई थी, पर अपनी बहस आधारित करते हुए अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा हैं कि अप्रार्थी ने भूमि आंवटन करवाते समय आंवटन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई गलत सूचना पेश नहीं की। अप्रार्थी का पेशा खेती है, राजस्थान का मूल निवासी हैं। आवंटन अधिकारी ने तहसीलदार, पदमपुर की जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अप्रार्थी को रकबा वरूर्र 1966–67 में आंवटित किया गया है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है। शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि आंवटी ने धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की अवहेलना की हो। शिकायतकर्ता ने ऑलटमेंट के आदेश के खिलाफ किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की हैं। शिकायतकर्ता द्वारा रंजिशवश मात्र एक शिकायत की गई है। ऑलटमेंट हुए करीब 50 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हैं। इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त आंवटन को निरस्त किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने काफी धन व परिश्रम कर भूमि में सुधार किया हैं। पत्रावली में ऐसी कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर विधि विरूद्ध आंवटन करवाया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक भू0अ0/84/126 दिनांक 18.01.1984 के अनुसार चक 78 एल.एन. पी. के मुरब्बा नम्बर 47 की 20–10 बीघा बारानी भूमि अप्रार्थी लाखा को दिनांक 04.01.1967 को उप जिलाधीश, श्रीकरणपुर द्वारा पुख्ता आंवटन की गई थी। उक्त भूमि आवंटी लाखा के ही कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि के अलावा गैरसायल व इसके परिवार के सदस्यों के नाम भूमि होना नहीं पाई हाती है। इस प्रकार अप्रार्थी लाखा को आवंटन पूर्ण जॉच के उपरांत किया गया है। लगभग 50 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद इस स्टेज पर आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा अलॉटमैन्ट के आदेश के विरूद्व

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कभी किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गई है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन प्रतीत होती है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21–6–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।